

प्रभारों की अनुसूची

1) प्रोसेसिंग फीस

क) ऋण आवेदन के समय - 50000 रुपये तक का अप्रतिदेय प्रारंभिक लॉगिन शुल्क (जीएसटी सहित)

ख) स्वीकृत ऋण राशि स्वीकार करते समय आवेदक को अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। कुल देय प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार होगा:

ऋण का प्रकार	प्रसंस्करण शुल्क (प्रारंभिक प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त)
निर्माण वित्त	स्वीकृत ऋण राशि के 2% तक (जीएसटी सहित)
किसी भी सरकारी योजना के तहत पात्र ऋण	संबंधित सरकारी योजना के अनुसार, उपरोक्त सीमा और जीएसटी के अधीन।
अन्य प्रशासनिक शुल्क	रु.1000 रुपये प्लस जीएसटी

2) अतिरिक्त सुरक्षा सृजन शुल्क - दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में प्रतिभूति सृजन के लिए 20,000 रुपये तक प्लस जीएसटी।

3) बाद के संवितरण के लिए तकनीकी शुल्क - पहली किश्त के संवितरण के बाद, प्रत्येक बाद के संवितरण के समय, उधारकर्ता को 20 लाख रुपये तक की स्वीकृत राशि के लिए 750/- रुपये प्लस जीएसटी और 20 लाख रुपये से अधिक की स्वीकृत राशि के लिए 1000/- और रुपये प्लस 50 लाख रुपये से ज्यादा की मंजूर राशि के लिए 1250 रुपये प्लस जीएसटी प्रत्येक तकनीकी दौर के लिए वहन करना होगा, जिसे बाद के संवितरण राशि से काटा जाएगा।

4) ऋण रद्द करने का शुल्क - उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋण के वितरण के बाद, यदि किसी भी कारण से ऋण रद्द किया जाता है, तो 50,000 रुपये का ऋण रद्द करने का शुल्क और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा।

5) दंडात्मक शुल्क - देय तिथि से विलंबित EMI/PEMI राशि पर विलंबित दिनों की संख्या के लिए 2% प्रति माह की दर से दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा। विलंबित EMI/PEMI राशि पर कोई अन्य ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं होगा, अर्थात् इन शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

6) पूर्व भुगतान शुल्क - ऋण के पूर्व-समापन या ऋण के अग्रिम समायोजन/आंशिक भुगतान के लिए शुल्क :

ब्याज का प्रकार	ऋण का प्रकार	प्रभार(कृपया नीचे दिए गए नोट देखें)
-----------------	--------------	-------------------------------------

परिवर्तनीय दर	व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को दिए गए सभी ऋणों के लिए, सह-ऋणदाता के साथ या उसके बिना	कोई शुल्क नहीं।
परिवर्तनीय दर	व्यक्तियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए दिए गए सभी ऋणों के लिए, सह-देनदारों के साथ या उनके बिना, स्वीकृत राशि 50 लाख रुपये तक (1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद स्वीकृत ऋणों पर लागू)	कोई शुल्क नहीं।
परिवर्तनीय दर	व्यक्तियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए गए सभी ऋणों के लिए, सह-ऋणदाता (ओं) के साथ या उनके बिना, यदि 1. 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद 50 लाख रुपये से अधिक की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया हो या 2. 31 दिसंबर, 2025 तक स्वीकृत ऋण, राशि चाहे जो भी हो।	(a) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24 महीनों के भीतर। भुगतान की गई ऋण राशि पर 6% एवम जीएसटी. (b) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24 महीने बाद। भुगतान की गई ऋण राशि पर 4.5% एवम जीएसटी.
अपरिवर्तनीय दर	ऋण लेने वाले व्यक्ति(यों) द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से आवास ऋण का पूर्व भुगतान/पूर्व समापन।	कोई शुल्क नहीं।
अपरिवर्तनीय दर	अन्य स्रोतों के माध्यम से पूर्व-भुगतान/पूर्व-समाप्त किए गए आवास ऋण या किसी भी उद्देश्य के लिए लिए गए गैर-आवास ऋण	a) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24 महीनों के भीतर। भुगतान की गई ऋण राशि पर 6% एवम जीएसटी. b) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24 महीने बाद। भुगतान की गई ऋण राशि पर 4.5% एवम जीएसटी.
अर्ध परिवर्तनीय	अन्य स्रोतों या स्वयं के स्रोतों के माध्यम से पूर्व-भुगतान/पूर्व-बंद किए गए आवास ऋण या किसी भी उद्देश्य के लिए गैर-आवास ऋण।	पहले 3 वर्षों के लिए - पहले संवितरण की तिथि से - अपरिवर्तनीय दर वाले ऋणों में लागू शुल्क लागू होंगे। 3 वर्षों के बाद - परिवर्तनीय दर वाले ऋणों में लागू शुल्क लागू होंगे।
टिप्पणी: क) इस प्रयोजन के लिए स्वयं के स्रोतों का अर्थ बैंक / एचएफसी / एनबीएफसी और / या एक वित्तीय संस्थान से उधार लेने के अलावा किसी अन्य स्रोत से है।		

- ख) लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दी गई परिभाषाओं के अनुसार एमएसई (लघु एवं मध्यम उद्यम) परिभाषित होंगे।
- ग) परियोजना के ग्राहक से बिक्री राशि की वसूली के माध्यम से सुविधा के पुनर्भुगतान (पूर्ण या आंशिक रूप से) के लिए कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं होगा।

7) कानूनी वसूली शुल्क * (प्लस जीएसटी)

13 (2) सूचना	रु. 2500/- प्रति सूचना
13 (4) सूचना	रु. 5000/- प्रति सूचना
कब्जे की सूचना	रु. 5000/- प्रति सूचना
नीलामी सूचना	रु. 5000/- प्रति सूचना
एनपीए मामलों के लिए संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन	प्रति मामले 1500 रुपये
SARFAESI में धारा 14 के तहत आवेदन दाखिल करना और भौतिक कब्जे का आदेश प्राप्त करना	प्रति मामले 15000 रुपये
मध्यस्थता (एलआरएन की शुरुआत के चरण में)	प्रति मामले 4000 रुपये
एनआई अधिनियम की धारा 138 (फाइलिंग के चरण में)	प्रति मामले 5000 रुपये
भौतिक कब्जे के शुल्क (पूर्ण होने पर)	वास्तविक के अनुसार
भौतिक कब्जे के आरोप (भौतिक कब्जे लेने के प्रयास पर)	प्रति मामले 10000 रुपये
धारा 25 दाखिल करने के चरण में	प्रति मामले 3500 रुपये
अन्य कानूनी लागत	वास्तविक के अनुसार

8) अन्य शुल्क

ऋण चक्र के दौरान	
कैश हैंडलिंग चार्ज	रु. 300/- प्लस जीएसटी
बकाया पूछताछ	रु. 1000/- प्लस जीएसटी
पुनर्भुगतान अनुसूची शुल्क	रु. 500/- प्लस जीएसटी
खाता विवरण	रु. 700/- प्लस जीएसटी
ऋण चक्र के दौरान दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	रु. 750/- प्लस जीएसटी
सीएलडी (दस्तावेज़ की ग्राहक सूची)	रु. 700/- प्लस जीएसटी
संवितरण चेक पुनः प्रिंट करने का अनुरोध	रु. 1000/- प्लस जीएसटी
समाप्त चेक पुनः प्रसंस्करण शुल्क	रु. 2500/- प्लस जीएसटी
बैंकिंग विवरणों में कोई भी परिवर्तन	रु. 1000/- प्लस जीएसटी प्रति मामले
ब्याज दर समीक्षा शुल्क (बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर उच्च ब्याज दर वाले ऋण से कम ब्याज दर वाले ऋण में परिवर्तन के लिए): रूपांतरण शुल्क बकाया ऋण का 4% तक, साथ ही जीएसटी।	ग्राहक के अनुरोध पर और कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर विवेकाधिकार हेतु, ₹5,000/- या बकाया ऋण का 0.5%, जो भी अधिक हो, साथ ही जीएसटी; ग्राहक द्वारा देय होगा।

रूपांतरण शुल्क (ब्याज दर के प्रकार ("आरओआई") में परिवर्तन के लिए, फ्लोटिंग से फिक्स्ड ब्याज आरओआई और इसके विपरीत):	बकाया ऋण का 4% तक, साथ ही जीएसटी।
बाउंस शुल्क/भुगतान की नियत तिथि चूकने पर शुल्क (उन मामलों के लिए जहां ACH/ECS जनादेश लागू नहीं है, और भुगतान नियत तिथि पर या उससे पहले नहीं किया गया है)	रु. 700/- प्रति मामले
भुगतान की नियत तिथि चूकने पर शुल्क (उन मामलों के लिए जहां ACH/ECS जनादेश लागू नहीं है, और भुगतान नियत तिथि पर या उससे पहले नहीं किया गया है)	रु. 500/- प्रति मामले
क्षेत्र भ्रमण प्रभार	निर्माण वित्त संबंधी मामलों में 1000 रुपये तक प्लस जीएसटी
ऋण बंद करने के समय	
दस्तावेज भंडारण और हैंडलिंग शुल्क	निर्माण वित्त संबंधी मामलों में 2000 रुपये तक प्लस जीएसटी
ऋण बंद होने की तारीख से 30 दिन बाद संपत्ति संबंधी दस्तावेज न प्राप्त करने पर दंडात्मक शुल्क	रु. 2000/- प्रति माह प्लस जीएसटी
ऋण खाता बंद करने का शुल्क	100/- रुपये तक प्लस जीएसटी

9) स्टाम्प ड्यूटी, नोटरी वगैरह जैसे बाकी सभी खर्च उधार लेने वालों को असल खर्च के हिसाब से उठाने होंगे।

कृपया ध्यान दें: शुल्क और शुल्कों को कंपनी द्वारा अपने विवेकानुसार संशोधित किया जा सकता है और इस तरह के परिवर्तन को कंपनी की वेबसाइट/शाखाओं पर शुल्कों की अनुसूची के तहत प्रकाशित किया जाएगा। कर्जदारों से अनुरोध है कि वे नवीनतम लागू शुल्कों और अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रभारों की अनुसूची देखें। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध शुल्कों की अनुसूची को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

---XXX---